आयोजनेत्तर

संख्या-2007/ III-2/04-01(बजट) /2004

प्रेषक,

टी0के0पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग,देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून,दिनांक 10 सितम्बर 2004

विषयः- वित्तीय वर्ष 2004-2005 में निदेशन तथा प्रशासन अधिष्ठान मद मे प्राविधानित अवशेष धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1647/08 बजट(अधिष्ठान)/2004-05 दिनांक 23.8.2003 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-454/लोनि2/04-01(बजट)/04 दिनांक 6 अप्रेल,2004 एवं संख्या-1531/III-2-04-01(बजट)/04 दिनांक 13 अगस्त,2004 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक 2059 के अन्तर्गत निदेशन तथा प्रशासन (अधिष्ठान) मद के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार अवशेष रू0 3368 हजार (रू0 तैंतीस लाख अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वतन पर इस प्रतिबन्ध के साथ रखी जा रही है कि मितव्ययता की मदो मे आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा ।

2. यह सुनिश्चित कर लिया जाय, कि जिन मदो में लेखानुदान के अन्तर्गत वर्तमान शासनादेश के आवंटन से अधिक धनराशि अवमुक्त की गई है,उनमे उतनी ही धनराशि तक व्यय सीमित रखा जाय,जितनी इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही है।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदो में नही किया जायेगा ।

4. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को कम करने का अधिकार नही देता है,जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो या अन्य आदेशो के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। उक्त व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशो मे निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिशिचत किया जाय ।

5. फर्नीचर /उपकरणों का क्रय पदधारक/कार्यालय के मानक के अनुसार डी.जी.एस.एण्ड. डी. की दर अथवा टैण्डर /कुटेशन विषयक नियमो का अनुपालन करते हुए किया जायेगा ।

6. कम्प्यूटर के क्रय मे एन.आई.टी., आई.टी. विभाग के दिशा निर्देशो का अनुपालन किया जायेगा ।

7. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-22 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2059 लोक निर्माण कार्य-80 सामान्य-आयोजनेत्तर /001-निदेशन तथा प्रशासन-03निदेशन-00 के अन्तर्गत संलग्नक मे उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयो के नामे डाला जायेगा ।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-1049/वित्त अनुभाग-3/04 दिनांक 31 अगस्त ,2004 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नकः- यथोक्त ।

भवदीय

(टी0के0पन्त)
संयुक्त सचिव ।

संख्या–2007(1) /लो.नि.2/2004 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल,इलाहाबाद/देहरादून ।
2. प्रमुख सचिव,वित्त,उत्तरांचल शासन ।
3. आयुक्त गढवाल/कुमायू मण्डल,पौडी/ नैनीताल ।
4. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी,उत्तरांचल ।
5. मुख्य अभियन्ता,गढवाल/कुमाऊ क्षेत्र,लोक निर्माण विभाग,पौडी/अल्मोडा ।
6. वित्त अनुभाग–3 एवं वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
7. लोक निर्माण अनुभाग–1,उत्तरांचल शासन ।
8. गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(टी.के.पन्त)
संयुक्त सचिव ।

शासनादेश संख्या-202/ III-2-2004-01(बजट) /2004 दिनांक 10/9/ 2004 का संलग्नक ।

(धनराशि हजार रूपये मे)

क्रम सं0	मद का नाम	आयोजनेत्तर
1.	04 यात्रा व्यय	833
2.	07 मानदेय	100
3.	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण ।	600
4.	19 विज्ञापन,बिक्री और विख्यापन व्यय	50
5.	27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	333
6.	44 प्रशिक्षण व्यय	267
7.	45 अवकाश यात्रा व्यय	600
8.	46 कम्पयूटर हार्डवेयर/साफ्ट वेयर का क्रय	400
9.	47 कम्पयूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	183
	योगः-	3366

(रू0 तैतीस लाख छियासठ हजार मात्र)

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव ।